उत्तर प्रदेश सरकार
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1
संख्या 667/चौवालिस-1-82
लखनऊः दिनांकः 27 सितम्बर, 1982

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्डो के अध्यक्ष, निदेशक अथवा पदेन निदेशक पद पर नियुक्त राजकीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में भाग लेने के लिए जाने पर उन्हें यात्रा भत्ता की देयता विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1466/चौवालिस-1-1980-125-75, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980 (जिसके प्रस्तर-2 का आंशिक संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या 806/चौवालिस-1-125-75, दिनांक 25 अप्रैल, 1981 द्वारा किया गया था), के प्रस्तर–2 का पुनः संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980 के प्रस्तर–2 को दिनांक 25 अप्रैल, 1981 के आंशिक संशोधन सहित हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित हुआ समझा जायः–

"अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों आदि की प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में निदेशक की हैसियत से भाग लेने हेतु वे रेल की उसी श्रेणी में यात्रा करने के लिए प्राधिकृत होंगे जिसके लिए वे राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अधीन सामान्यतः हकदार हैं। तद्नुसार ऐसे सरकारी अधिकारी जो कि रेल की प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित कोच में यात्रा करने हेतु प्राधिकृत नहीं हैं वे सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों आदि की प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में सम्मिलित होने हेतु भी प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित कोच से यात्रा करने के कहदार न होंगें। परन्तु वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा०–4-1194/दस–82-601/82, दिनांक 12 जुलाई, 1982 के प्रस्तर–2 में निर्धारित वेतन सीमा के अन्तर्गत आने वाले अधिकारी प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में सम्मिलित होने हेतु भी रेल के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोच में यात्रा करने के लिए अधिकृत होंगे यदि सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों आदि के नियमों के अन्तर्गत प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए अन्य समस्त निदेशकों को वायुयान से यात्रा करने की सुविधा अनुमन्य करायी जाती है तो ऐसे सरकारी अधिकारियों को भी जो राज्य सरकार के नियमों के अधीन वायुयान से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, यह विकल्प प्राप्त होगा कि प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में निदेशक की हैसियत से सम्मिलित होने के लिए समय बचाने के दृष्टिकोण से वे भी वायुयान से यात्रा कर लें परन्तु वायुयान से यात्रा की यह सुविधा उ०प्र० में एवं दिल्ली की यात्राओं के लिए अनुमन्य न होगी। इस सम्बन्ध में सरकारी अधिकारी का यात्रा भत्ता राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित होगा और तत्सम्बन्धी व्यय सम्बन्धित सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों आदि द्वारा वहन किया जायगा।"

2--यह आदेश इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त की गयी यात्राओं पर लागू होंगे।

3--यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

राजीव रत्न शाह,
सचिव।

संख्या 667 (1)/चौवालिस-1-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव।
2-- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3-- शासन के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
4-- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्यमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

आज्ञा से,
सूरज प्रकाश सक्सेना,
उप सचिव।